न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंन्झुनूं

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
28/2017	29.08.2017	91 एल.आर.एक्ट	10.10.2017

सरकार बनाम लक्ष्मणसिंह पुत्र नानू सिंह जाति राजपूत निवासी पौंख

10.10.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिक्रमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का पौंख नें सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम पौंख के भूमि ख0न0 2599/449 रकबा 0.25 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.25 है0 पर लक्ष्मणसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी पौंख ने ग्वार काश्त कर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का पौंख के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिक्रमी को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धा0 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का पौंख एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध हैचूंकी भूमि किस्म गै0मु0 पहाड़ हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिक्रमीगण द्वारा क्रिया गया अतिकमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिक्रमीगण को रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट भू0अ0नि0/पटवारी हल्का पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को लिखा जावे की अतिक्रमीगण को अतिक्रमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें ।

अतिक्रमीगण द्वारा गै0मु0 पहाड़ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.47 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 24/– अक्षरे चौबिस रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 10.10.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
उदयपुरवाटी